फर्द अहकाम

यालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

खुशीराम वगैरा बनाम शैलेन्द्र कुमार वगै.

दमा संख्या / वर्ष 1/No- 07/2018 /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे विवरण
		आज दि. 3/1/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... कन्डोलेंस/... कर्ता/कार्य ... जाने के कारण ... पी.ओ.टा. ... की जा सकी। अतः पत्रावली ... दिनांक 27/1/23 को पेश हो।	
	27/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी सं. 1,2, जवाब दावा हेतु उपस्थित। अपीलार्थी सं. 1,2, जवाब दावा हेतु समय चाहते हैं जबकि पूर्व में अनेक अवसर दिए जा चुके हैं। अतः जवाब दावा का अवसर बंद किया जाता है। बहस पर पक्ष निर्णय पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का समस्त दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत तकसीम हेतु पेश किया गया है। मूलवाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट चाहे गए हैं। मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए मूलवाद को निस्तारण तक वाद्यमत आराजी को सेरहित बनाए रखना आशय संगमते है, जिससे वाद की हल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को उन्मुक्त किया जाता है। अपीलार्थी का ताम्मीला	

सहायक कलक्टर

ACII

T.No. - 07/2018

कुर्शीदा बेगम बनाम राजेश कुमार (पत्रे)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मूल्यांकन परिपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3177 रकबा 0.31 हेक्टेयर वाके ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली पेसल शुमार होकर पैरवी के लिए सेक्शन होकर सेलरूम मुलवा रहे। निर्णय आज दिनांक 27/01/2023 को सरे इजलास सुनाया जाया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय